उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-20/2022/1578/तीस-4-2022
लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मार्ग को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में, मंजिली गाड़ी चलाने के लिए निश्चित करती हैं:-

अनुसूची

क्र.सं.	**अधिकार क्षेत्र**	**मार्ग**	**दूरी (किमी0) में**
1	**2**	**3**	**4**
1	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	लखनऊ-गाजीपुर वाया अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ (पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे)	399
2	राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	चित्रकूट-भरथना (इटावा) वाया बांदा, राठ, जालौन, औरैया (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे)	296
3	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, मेरठ	अमीनगर (मेरठ)-इन्दिरापुरम (गाजियाबाद) वाया डासना, भोजपुर (दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे)	65
4	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, गाजियाबाद	नोयडा सेक्टर-62 एक्सपो सेन्टर से कासना (ग्रेटर नोयडा) वाया सेक्टर-37 (नोयडा-ग्रेटर नोयडा एक्सप्रेस वे)	38

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 20/2022/1578/XXX-4-2022, dated 06 October, 2022

NOTIFICATION

No 20/2022/1578/XXX-4-2022
Lucknow : Dated 06 October, 2022

In exercise of the powers conferred under Section 68 (3) (ca) of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the route mentioned in column-3 of the Schedule below under the Region of the Authority mentioned against each in column-2 of the said Schedule for plying stage carriages :-

SCHEDULE

Sl.no.	Authority	Route	Distance (in Km.)
1	2	3	4
1	State Transport Authority, Uttar Pradesh	Lucknow-Ghazipur via Ambedkarnagar, Azamgarh (Purvanchal Express way)	399
2	State Transport Authority, Uttar Pradesh	Chitrakut-Bharthana (Etawah) via Banda, Rath, Jalon, Oraiya (Bundelkhand Express way)	296
3	Regional Transport Authority, Meerut	Aminagar (Meerut)-Indirapuram (Ghaziabad) via Dasna, Bhojpur (Delhi-Meerut Express way)	65
4	Regional Transport Authority, Ghaziabad	Noida Sector-62 Expo Center-Kasna (Greator Noida) via sector-37 (Noida-Greator Noida Express way)	38

By Order,

L. Venkateshwar lu
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-20/2022/1578(1)/तीस-4-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव।

सं0-20/2022/1578(2)/तीस-4-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव।

सं0-20/2022/1578 (3)/तीस-4-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- सम्बन्धित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in